राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

डॉ. के.एस. कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली-110012

संख्या 16/36/2024-सा. दिनांक 20.11.2024

परिपत्र

विषयः आबंटन वर्ष-2025 हेतु एनपीएल कॉलोनी में परिषद् आवास के आबंटन के लिए आवेदन।

आबंटन वर्ष-2025 (अवधि 01.01.2025 से 31.12.2025 तक) के लिए एनपीएल कॉलोनी में परिषद् आवास के आबंटन हेतु योग्य स्टाफ सदस्यों से निर्धारित प्रारुप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29.11.2024 है।**

आवास का प्रकार/श्रेणी	दिनांक 01.01.2025 को विद्यमान श्रेणी/मूल वेतन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
टाईप – I	ग्रेड–वेतन रू.1300/–, रू.1400/–, रू.1600/–, रू.1650/– तथा रू.1800/–. (अस्थाई कर्मचारी भी टाईप–I के आवास के लिए पात्र हैं, इसके लिए अन्हें आवश्यक वचन–बंध जमा करना होगा)।	स्तर–1.
टाईप – II	ग्रेड–वेतन रू.1900/–, रू.2000/–, रू.2400/– तथा रू.2800/–.	स्तर–2, 3, 4, 5.
टाईप – III	ग्रेड–वेतन रू.4200/–, रू.4600/– तथा रू.4800/–.	स्तर–6, 7, 8.
टाईप – IV	ग्रेड–वेतन रू.5400/– से रू.6600/–.	स्तर–9, 10, 11.
टाईप – V	ग्रेड–वेतन रू.7600/– से रू.8900/–.	स्तर–12, 13, 13ए.
टाईप – VI	ग्रेड–वेतन रू.10000/–.	स्तर–14, 15.
एस.आर.एस.ए.	प्रतिमाह रूपये 5400/– एवं उससे अधिक ग्रेड–वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी। परस्पर प्राथमिकता, सीएसआईआर आवास आबंटन नियमावली–2022 के नियम 3.2 के अनुसार। 1. समूह–IV में वैज्ञानिक। 2. क्विक हायर स्कीम के तहत नियुक्त वैज्ञानिक। 3. एमेरिटस वैज्ञानिक/रिसर्च एसोसिएट्स/रिसर्च फैलोस/पूल अधिकारी। 4. तकनीकी अधिकारी ('ए' एवं उससे ऊपर) और ; 5. गैर–तकनीकी संवर्गो से अनुभाग अधिकारी एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी। नोटः प्राथमिकता तिथि, वह निकटतम तिथि होगी जिस तिथि से किसी विशिष्ट प्रकार में कर्मचारी लगातार संबंधित ग्रेड–वेतन आहरित कर रहा है।	स्तर–9 या उससे अधिक.
ड़ी.आर.एस.ए./ टी.आर.एस.ए.	प्रतिमाह रूपये 6600/– एवं उससे अधिक ग्रेड–वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी। परस्पर प्राथमिकता, सीएसआईआर आवास आबंटन नियमावली–1997 के नियम 3.2 के अनुसार। 1. समूह–IV में वैज्ञानिक। 2. क्विक हायर स्कीम के तहत नियुक्त वैज्ञानिक। 3. एमेरिटस वैज्ञानिक/रिसर्च एसोसिएट्स/रिसर्च फैलोस/पूल अधिकारी। 4. तकनीकी अधिकारी ('ए' एवं उससे ऊपर) और ; 5. गैर–तकनीकी संवर्गो से अनुभाग अधिकारी एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी। नोटः प्राथमिकता तिथि, वह निकटतम तिथि होगी जिस तिथि से किसी विशिष्ट प्रकार में कर्मचारी लगातार संबंधित ग्रेड–वेतन आहरित कर रहा है।	स्तर–11 या उससे अधिक.
एस.आर.एच.	ग्रेड–वेतन रू.1900/– से रू.4200/–.	स्तर–1 से 6.
ड़ी.आर.एच.	ग्रेड–वेतन रू.5400/– तथा उससे अधिक ग्रेड–वेतन प्राप्त करने वाले ग्रुप– IV के वैज्ञानिक।	स्तर–9 या उससे अधिक.

2(क). अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु टाईप–I, टाईप–II, टाईप–III तथा टाईप–IV के लिए सामान्य प्राथमिकता सूची के साथ–साथ एक विशिष्ट प्राथमिकता सूची भी तैयार की जाएगी।

2(ख). अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी, जो पहले से ही सामान्य पूल आवास में हैं, पर आरक्षित कोटा से उच्चतर टाईप के आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

3. यदि किसी कर्मचारी ने सीएसआईआर से एचबीए प्राप्त किया है तथा तैनाती स्थल (दिल्ली/नई दिल्ली) पर मकान बना/खरीद लिया है अथवा उनका तैनाती स्थल (दिल्ली/नई दिल्ली) पर स्वयं/पति या पत्नी के नाम पर अपना मकान/फ्लैट/निवास इकाई है अथवा वे उसके मालिक है, तो वह परिषद् आवास के योग्य नहीं है। हालाँकि, यह नियम उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिन्हें एनपीएल के कार्यालय ज्ञापन संख्या.16/51/2001–सामान्य/एचबीए दिनांकित 08.08.2001 के द्वारा पूर्व में प्रतिधारण आज्ञा दी गई थी तथा बाद में निदेशक, एनपीएल द्वारा भविष्य में होने वाले आबंटन हेतु योग्य घोषित किया गया।

4. टाईप–V तथा टाईप–VI के लिए पात्र अधिकारी अपने नीचे वाले टाईप के आवास क्रमशः टाईप–IV तथा टाईप–V के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, यदि वे अपने निचले आवास के आबंटन के लिए इच्छुक है। अपने निचले आवास हेतु आवेदन अलग से जमा करें तथा आवेदन पत्र पर ऊपर दाहिने तरफ ''नैक्स्ट बिलो टाईप'' (Next Below Type) लिखें।

5. वे अधिकारी जिनके पास पहले से ही निचले टाईप का आवास है तथा अपनी पात्रता के अनुसार टाईप आवास प्राप्त करने के इच्छुक है, वे अपनी पात्रता के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें।

6. एस.आर.एस.ए., ड़ी.आर.एस.ए., टी.आर.एस.ए., एस.आर.एच. तथा ड़ी.आर.एच. ट्रांजिट आवास हैं तथा इन आवासों के सभी आबंटियों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी पात्रता के अनुसार नियमित टाईप के आवास हेतु आवेदन करें। यदि संबंधित व्यक्ति अपनी पात्रता के टाईप हेतु आवेदन नहीं करता है तथा वह अन्य प्रकार से पात्र है तो उसका नाम Suo moto सूची में शामिल कर दिया जाएगा।

7. ऐसे कर्मचारी जो अवकाश पर है, भ्रमण पर गए हैं तथा उनसे सम्पर्क करना संभव नहीं है तथा निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं भेजा जा सकता, के मामले में संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान/केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासन नियंत्रक/वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक द्वारा अस्थाई आवेदन पत्र भेजा जाना चाहिए तथा एनपीएल स्टॉफ सदस्यों के मामले में संबंधित विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष अथवा आसन्न पर्यवेक्षक द्वारा इस मामले की जानकारी अनुभाग अधिकारी (सामान्य अनुभाग)/प्रशासनिक अधिकारी को निर्धारित तिथि तक दी जानी चाहिए हालाँकि, उस कर्मचारी के पुनः अपना कार्यभाग ग्रहण करने के एक सप्ताह के अंदर अंतिम आवेदन पत्र भेजा जाना चाहिए।

8. एनपीएल कालोनी/महारानी बाग में सीएसआईआर पूल आवास के आबंटी तथा एनपीएल पूल मे भागीदार किसी प्रयोगशाला/संस्थान/केन्द्र मे कार्यरत आबंटी की सेवानिवृति, स्थानांतरण, त्यागपत्र, बर्खास्तगी के मामले मे, संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान/केन्द्र के प्रमुख का उत्तरदायित्व है कि वह इस तथ्य की जानकारी शीघ्रता से निदेशक, एनपीएल को दें ताकि संबंधित अधिकारी द्वारा अधिकृत आवास के संबंध में आवश्यक बेबाकी प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जा सके। ऐसे कर्मचारी द्वारा आवास के संबंध में ''बेबाकी प्रमाण–पत्र'' न प्रस्तुत किए जाने तक, उसकी देय राशि को जारी न किया जाए।

9. एनपीएल स्टॉफ सदस्य, सामान्य अनुभाग, कमरा नं. 227–ए से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। विधिवत् भरे हुए आवेदन पत्र केवल सामान्य अनुभाग मे ही जमा किए जाएं। अन्य सभी भागीदार प्रयोगशालाओं/संस्थानों/केन्द्रों से अनुरोध है कि वे विधिवत् सत्यापित तथा भरे हुए आवेदन पत्र अलग–अलग बंडलों में टाईप अनुसार तथा पूल अनुसार भेजें ताकि यह कार्यालय शीघ्रतापूर्वक तथा कुशलतापूर्वक आवेदन पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही कर सके।

10. जिन आवेदको को आबंटन से रोक दिया गया है, उन पर उनकी वंचित (debarred) अवधि की समाप्ति तक अगले आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

11. महारानी बाग में आवास हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को अलग प्राथमिकता सूची में रखा जाएगा तथा उन पर एनपीएल कालोनी हेतु परिवर्तन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

12. गलत/अधूरी/भ्रामक जानकारी वाले अथवा भली प्रकार से न भरे हुए आवेदनो को निरस्त कर दिया जाएगा। यह संबंधित व्यक्ति का दायित्व है कि वह आवेदन पत्र में सही जानकारी दें।

13. अलग–अलग टाईप के आवास हेतु अलग–अलग आवेदन जमा करें। एक आवेदन पर उसमें लिखित पहले टाईप हेतु ही विचार किया जाएगा।

14. महारानी बाग में ''सीएसआईआर–एनपीएल पूल'' के वैज्ञानिक अपार्टमेंटस् के आबंटन हेतु नियंत्रक प्राधिकारी/क्षेत्राधिकारी अब एनपीएल है, इसलिए केवल एनपीएल के अधिकारी तथा स्टाफ सदस्य ही महारानी बाग में वैज्ञानिक अपार्टमेंट प्राप्त करने योग्य हैं। अन्य प्रयोगशालाओं/संस्थानों/केन्द्रों के स्टॉफ सदस्य जो महारानी बाग अपार्टमेंटस् हेतु आवेदन के इच्छुक हैं, अपने संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।

15. गैर–कार्य (dies-non) अवधि यदि कोई हो, को समुचित ढंग से आवेदन पत्र मे सूचित करें।

सीएसआईआर पत्र संख्या 5–1(34)/2008–पीडी दिनांक 23.02.2024 के अनुसार, एक कर्मचारी की प्राथमिकता का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :–

आवास का टाईप	प्राथमिकता निर्धारण का आधार
टाईप–I, टाईप–II, टाईप–III, टाईप–IV, एस.आर.एच. तथा डी.आर.एच.	1. सीएसआईआर में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि। 2. 01/01/2025 को ग्रेड–वेतन एवं वेतन–लेवल। 3. 01/01/2025 को मूल वेतन। 4. जन्म तिथि।
टाईप–V तथा टाईप–VI	1. 01/01/2025 को ग्रेड (ग्रेड–वेतन एवं वेतन–लेवल)। (उच्चतर ग्रेड–वेतन को प्राथमिकता दी जाएगी) 2. तिथि जिससे आवेदक वर्तमान ग्रेड–वेतन (जैसा कि ऊपर (1) में दिया गया है) प्राप्त कर रहा है, 01/01/2025 का मूल वेतन। 3. सीएसआईआर में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि। 4. जन्म तिथि।
एस.आर.एस.ए./ डी.आर.एस.ए. तथा टी.आर.एस.ए.,	1. जिस तिथि से कर्मचारी लगातार संबंधित ग्रेड–वेतन आहरित कर रहा है। 2. सीएसआईआर में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि। 3. 01/01/2025 को ग्रेड–वेतन एवं वेतन–लेवल। 4. 01/01/2025 को मूल वेतन। 5. जन्म तिथि।

17. आवेदक स्वयं को अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति सुनिश्चित कर लें कि वह अपने वास्तविक उपयोग हेतु ही आवास का उपयोग करना चाहते हैं।

18. उन व्यक्तियों जो नियमित आवास (टाईप–I, टाईप–II आदि) में रह रहे हैं, भले ही यह पात्रता के टाईप से नीचे का हो, को किसी भी आवास परिवर्तन हेतु विचार में नहीं लिया जाएगा। हालाँकि यह उन मामलो मे लागू नहीं होगा जहाँ टाईप–I अथवा अन्य कोई आवास पात्रता के अनुसार नियमित/ट्रांजिट आवास की उपलब्धता तक स्टाप गैप (Stop Gap) व्यवस्था के रूप में आबंटित किए गए हैं।

19. जिन आवेदकों के पदोन्नति आदेश आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात् तथा 31.12.2024 के पूर्व जारी हुए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि 31.12.2024 अथवा उसके पूर्व सामान्य अनुभाग, एनपीएल में उनका रिकॉर्ड उद्यतन कर दिया गया है। आबंटन वर्ष–2025 हेतु 01.01.2025 अथवा इसके पश्चात् रिकॉर्ड उद्यतन करने संबंधित किसी भी निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

20. सीएसआईआर द्वारा अग्रेषित कार्यालय ज्ञापन संख्या 12–6(36)/MBSA–2019–ई–III दिनांकित 21/09/2020 में निहित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए महारानी बाग वैज्ञानिक अपार्टमेंटस् में नए आबंटन (fresh allotment) को अगले आदेश तक रोक कर (on hold) रखा जायेगा।

आवेदन करने से पूर्व, अपनी पत्रता तथा आबंटन के नियम एवं शर्तें जानने हेतु कृपया सीएसआईआर (आवास आबंटन) नियमावली, 2022 यथा–समय संशोधित, को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कृपया आबंटन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किये बिना शीघ्रतापूर्वक जमा कर दें इससे शीघ्र प्रक्रिया तथा प्राथमिकता सूची को शीघ्रता से अधिसूचित करने में सहायता मिलेगी।

वीना जैन
वरि. प्रशासन नियंत्रक

संलग्नक : निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र।

प्रतिलिपि :–

1. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष, एनपीएल (ई–मेल धारकों/अध्यक्षों/प्रमुखों को ई–मेल द्वारा)
2. निदेशक, **NIScPR** (Please circulate within all the staff of NIScPR)
3. एनपीएल इन्ट्रानेट : http#//nplnet.ccf.npl – परिपत्र
4. सभी सूचना पटट्, एनपीएल
5. कार्यालय प्रति

NATIONAL PHYSICAL LABORATORY

DR. K.S. Krishnan Marg, New Delhi-110012.

2025

PROFORMA FOR ALLOTMENT OF STAFF QUARTER

1.	**Type Applied for** (Type-I / Type-II / Type-III / Type-IV / Type-V / Type-VI / SRSA / SRH / DRH / DRSA / TRSA)		
2.	Applied for accommodation in (select by marking ✓ sign)	**NPL Colony**	✓
3.	Date of initial Joining in CSIR		
4.	Present Pay Level (7th CPC) and Basic Pay **as on 01.01.2025**		
	Pay Level (7th CPC) –	Basic Pay – Rs.	Grade Pay –
5a.	The date since when the applicant has been drawing the present Pay Level or Grade Pay (as in Sr. No. 4 above). **(Applicable in case of entitled to Type-V or Type-VI only).**		
5b.	The date since when the applicant has been drawing the Level-11 or Grade Pay Rs.6600/-. **(Applicable in case of entitled to DRSA / TRSA).**		
5c.	The date since when the applicant has been drawing the Level-9 or Level-10 or Grade Pay Rs.5400/-. **(Applicable in case of entitled to SRSA only).**		
6.	Category (GENERAL / SC / ST)		
7.	Name of Applicant (Dr. / Sh. / Mrs. / Ms.)		
8.	Designation		
9.	ID No.		
9.	Name of the Laboratory working / Telephone Number		
10.	Date of Birth		
11.	Date of Superannuation from CSIR		
12.	Do you own a house in the name of self or spouse or minor children within the Municipal limits of Delhi/New Delhi, if so give details of the same.		
13.	Have you taken any HBA from CSIR till date, if so give details of the same.		
14.	Present Allotment in NPL Colony, if any	Type	Quarter No.
15.	Is there any period of service break? If yes, give the period.		
16.	Have you been debarred for allotment? If yes, give details.		

DECLARATION

I certify that the information given above is factually correct. If found incorrect, I am aware that allotment made to me on this basis is liable to be cancelled. I agree to abide by the CSIR (Residence Allotment) Rules, 2022 as amended from time to time. I am aware of the penalties to be imposed in case of my refusal to accept the allotted accommodation.

Date : ____________

Signature of the Applicant

Forwarded, all the above particulars have been **verified from the office records**. It is also certified that the above mentioned official has not taken any HBA from office till date and he/she does not own a house in the name of self or spouse or minor children within the municipal limits of Delhi/New Delhi.

Section Officer (Establishment)
(Signature with Stamp)